भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1087

08 फरवरी, 2023 के लिए प्रश्न

खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि

1087. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण आम आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए अग्रणी खाद्य तेल संघ के साथ एक बैठक बुलाई है;

(घ) यदि हां, तो बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और बैठक में उन पर क्या निर्णय लिया गया;

(ड.) क्या सरकार का ध्यान इस विषय पर भी आकर्षित किया गया है कि विनिर्माता और रिफाइनरी द्वारा कीमतों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) जनता के लाभ के लिए खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी, नहीं। खाद्य तेलों की कीमतों में भारी गिरावट की प्रवृत्ति दिख रही है, जिससे आम आदमी को राहत मिल रही है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

..2/-

(ग), (घ) और (ङ): देश में खाद्य तेलों की घरेलू कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार प्रमुख खाद्य तेल संघ/उद्योग के साथ समय-समय पर कई बैठकें करती रही है। बैठकों के परिणामस्वरूप, प्रमुख खाद्य तेल उद्योगों ने खाद्य तेलों पर अपना अधिकतम खुदरा मूल्य कम कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है।

(च): खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाया है:

- केंद्र सरकार ने अशोधित (क्रूड) पाम तेल, अशोधित (क्रूड) सोयाबीन तेल और अशोधित (क्रूड) सूरजमूखी तेल पर मूल शुल्क को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया है। इन तेलों पर कृषि-उपकर को 5% तक लाया गया है। इस शुल्क को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
- शोधित (रिफाइंड) सोयाबीन तेल और शोधित (रिफाइंड) सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क को 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है और शोधित (रिफाइंड) पाम तेल पर मूल शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। इस शुल्क को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया है।
- सरकार ने शोधित (रिफाइंड) पाम तेल के मुक्त आयात को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।
- सरकार ने शून्य आयात शुल्क एवं शून्य एआईडीसी पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 20 लाख टन अशोधित (क्रूड) सोयाबीन तेल तथा 20 लाख टन अशोधित (क्रूड) सूरजमूखी तेल तथा वित्त वर्ष 2023-24 हेतु 20 लाख टन अशोधित (क्रूड) सूरजमूखी तेल के आयात के लिए टेरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन हेतु अधिसूचना जारी की है।

*****